भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1047
गुरूवार, 15 दिसम्बर, 2022/24 अग्रहायण, 1944 (शक)

श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट

1047. **श्री राजीव शुक्लाः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में कामकाजी आबादी का आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण-शहरी विभाजन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कृषि और गैर-कृषि कार्यों सहित ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर के आंकड़े उपलब्ध हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास बेरोजगारी बीमा प्रदान करने के लिए योजनाएं उपलब्ध हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ) : रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। उपलब्ध नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस प्रकार थाः

कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)-(% में)			
वर्ष	ग्रामीण	शहरी	अखिल भारत
2018-19	48.9	43.9	47.3
2019-20	53.3	45.8	50.9
2020-21	55.5	45.8	52.6

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) क्रमशः 51.5%, 55.5% और 57.4% थी। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक उद्योग प्राभग-वार सामान्य स्थिति में कामगार का अनुमानित प्रतिशत वितरण अनुबंध में दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत आने वाले कर्मचारी बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार हैं। ईएसआई निगम ने अपने बीमित व्यक्तियों को जो फैक्ट्री/प्रतिष्ठान बंद होने, छटनी या बेरोजगारी से उत्पन्न चोट के कारण 40% और इससे अधिक होने वाली स्थायी अशक्तता के कारण अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हो गए थे उन्हें बेरोजगारी भत्ता, चिकित्सीय देखभाल के साथ-साथ व्यावसायिक पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) की शुरुआत की गई थी। पात्रता मानदंड के अनुसार, दो साल का बेरोजगारी भत्ता 0-12 महीने के दौरान वेतन का 50% और 13-24 महीने के दौरान वेतन का 25% के रूप में प्रदान किया जाता है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 15.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक उद्योग प्रभाग-वार सामान्य स्थिति में अनुमानित श्रमिक

(% में)

एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग प्रभाग	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
कृषि	57.8	61.5	60.8
खनन और उत्खनन	0.4	0.2	0.3
विनिर्माण	7.8	7.3	7.6
विद्युत, जल आदि	0.3	0.4	0.4
निर्माण	13.0	12.2	12.4
व्यापार, होटल और रेस्तरां	8.4	7.6	7.7
परिवहन, भंडारण और संचार	4.1	3.8	3.7
अन्य सेवाएं	8.3	7.1	7.2
योग	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई (नोट: राउंडिंग ऑफ के कारण कुल मिलान असमान हो सकता है)